हुक्म या कार्यवाही मय दस्तखत [illegible]

पत्रावली पेश हुई। तकमील [illegible] बाबत प्रतिवादी सं 1 ता 3 की ओर से भी [illegible] रिपोर्ट [illegible] प्राप्त [illegible] के [illegible] किया [illegible] गया। [illegible] प्रतिवादीगण की [illegible] वकील वादी [illegible] करने पर जारी हो। [illegible] प्रतिवादीगण सं 1 ता 3 तथा तलबी [illegible] प्रतिवादीगण [illegible] को पेश हो।
बाद मिसल दिनांक 30/3/20 को पेश हो।

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र [illegible] वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मियाद [illegible] स्वीकार किया जाने पर पत्रावली नियत [illegible] तारीख पेशी दिनांक 05/4/2021 से तलब की जाकर आज पेश हुई। वकील वादीगण ने प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन किया कि उनवादी प्रकरण में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार कर हस्तगत वादपत्र को विड्रा किये जाने की अनुमति प्रदान करें। चूंकि वकील वादी के कथनानुसार पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है अतः वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर हस्तगत वादपत्र को विड्रा किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। चूंकि हस्तगत वादपत्र में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है अतः कार्यवाही प्रकरण ड्रॉप की जाती है। पत्रावली [illegible] शुमार होकर दफ्तर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
RAS
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) खण्डेला

Scanned with CamScanner